मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2025

AIC
RNTU

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2025

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यम विभाग

डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री
मध्यप्रदेश

संदेश

प्रसन्नता का विषय है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मध्यप्रदेश की नई स्टार्टअप नीति तैयार की गई है। मध्यप्रदेश की गौरवशाली ऐतिहासिक विरासत भारतीय सभ्यता की शुरुआत तक फैली हुई है। मध्यप्रदेश सदियों से नवाचार और उद्यमशीलता की भूमि रही है। हमारी समृद्ध विरासत आज मध्यप्रदेश के स्टार्टअप क्षेत्र को भी प्रेरित कर रही है, जो अब राज्य की उद्यमशील यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। ऐतिहासिक ज्ञान और आधुनिक नवाचार के इस संगम ने एक अनोखे और उन्नत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखी है, जो विशिष्ट रूप से मध्यप्रदेश की पहचान बन चुका है।

मध्यप्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम एक सशक्त संरचना है, जिसमें शिक्षण संस्थान, अत्याधुनिक इनक्यूबेशन सेंटर, समृद्ध जनसंख्या और निवेशकों की बढ़ती भागीदारी शामिल है। राज्य के शैक्षणिक संस्थान युवा उद्यमियों को ज्ञान और कौशल प्रदान कर रहे हैं, जिससे वे प्रतिस्पर्धी व्यावसायिक दुनिया में सफल हो सकें। प्रदेश भर में स्थापित इनक्यूबेशन सेंटर स्टार्टअप्स को आवश्यक संसाधन, मार्गदर्शन और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान कर रहे हैं। जनसंख्या में बढ़ती क्रय शक्ति ने नवाचारपूर्ण उत्पादों और सेवाओं की माँग को भी बढ़ाया है, जिससे स्टार्टअप्स के लिए एक उपयुक्त बाजार निर्मित हुआ है। प्रदेश में वेंचर कैपिटल का प्रवाह इस बात का प्रमाण है कि निवेशकों को राज्य में उच्च-विकास क्षमता वाले उद्यमों पर पूरा विश्वास है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह नीति प्रदेश के आर्थिक विकास को नई ऊंचाईयों पर ले जाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी, जो न सिर्फ स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास को गति देगी बल्कि राज्य को नवाचार और उद्यमशीलता के केंद्र के रूप में और अधिक सुदृढ़ करेगी।

स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2025 के निर्माण के लिए हार्दिक बधाई।

(डॉ. मोहन यादव)

6, श्यामला हिल्स, भोपाल - 462 002

चेतन्य कुमार काश्यप
मंत्री
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पत्र क्र. : 614 /मंत्री/सू.ल.म.उ./2025 भोपाल, दिनांक : 22 फरवरी 2025

संदेश

भारत के हृदय स्थल मध्यप्रदेश में स्टार्टअप क्षेत्र ने नवाचार और उद्यमशीलता से राज्य के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य को नई दिशा दी है। प्रदेश का स्टार्टअप इकोसिस्टम शैक्षणिक संस्थानों, इनक्यूबेशन सेंटर, समृद्ध जनसंख्या और तेजी से बढ़ती निवेशकों की भागीदारी का अद्वितीय संगम है। राज्य में इनक्यूबेशन सेंटरों की उपलब्धता से स्टार्टअप्स को पोषित करने के साथ ही नवाचार को सहयोग और विकास का वातावरण मिला है।

प्रदेश के स्टार्टअप्स वैश्विक स्तर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। राज्य में नवाचार और आर्थिक विकास का सकारात्मक चक्र प्रारंभ होने से निवेशकों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। यह भविष्यगामी दृष्टिकोण प्रदेश को भारत के नवाचार परिदृश्य में अग्रणी स्थान दिला रहा है।

हमने सभी पक्षो से चर्चा कर इस नीति में स्टार्टअप्स को उनकी आवश्यकता के अनुरूप ***"स्टार्टअप आईडीएशन, वेलीडेशन, अर्ली स्टेज एवं ग्रोथ"***– प्रत्येक चरण में सहायता की समुचित व्यवस्था की है। यह रणनीतिक पहल उनको सशक्त बनाने और राज्य को अग्रणी नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में सराहनीय कदम है।

मैं स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े सभी पक्षों को **स्टार्टअप नीति 2025** के शुभारंभ पर उज्जवल भविष्य और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे स्टार्टअप्स इन नीतियों का लाभ लेकर प्रदेश एवं राष्ट्र के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान करेंगे।

(चेतन्य कुमार काश्यप)

अनुराग जैन
मुख्य सचिव
Anurag Jain
Chief Secretary

India, the fastest growing large economy in the world, has embarked upon a journey to become Atmanirbhar and Viksit Bharat. Madhya Pradesh, one of the fastest growing States, has become the preferred destination for investment. The State offers "infinite possibilities" powered by abundant resources, state of the art infrastructure, an integrated holistic approach and forward-thinking leadership. These coupled with central location, excellent industrial labour relations, all assimilating culture position Madhya Pradesh as a key driver of comprehensive economic growth.

The State has formulated 18 new policies after thorough collaborative consultation with the stakeholders. While these policies provide financial incentives at par with the best provided by any other State, yet the focus is to provide seamless investment climate, exemplary Ease of Doing Business and reduction of compliance burden. State has already put in place mechanisms to streamline approvals, with faceless interface and time-bound clearances. Madhya Pradesh initiated the concept of the Public Service Delivery Guarantee Act and is committed to ensure that all approvals are notified under this Act. Providing plug and play infrastructure for industries is another important corner stone of the policies.

Madhya Pradesh Startup Policy, 2025 aims to build upon the strong foundations laid by the earlier policy. Startup ecosystem in the State boasts over 5000 startups with an impressive 47% led by women entrepreneurs. The policy is a harmonious extension of the Startup India Initiative. The establishment of a Startup Advisory Council under the policy will further strengthen the ecosystem by providing expert guidance, fostering collaboration, and ensuring sustainable growth for entrepreneurs across the State. The policy's cornerstone is the establishment of a mega incubator and the provisioning of a growth fund, seed fund, collateral-free loan through banks, interest subvention on loan and technical mentoring partnership with institutes of national importance such as IIT, NIFT, IIM, IISER, ensuring that the State's entrepreneurial flame burn bright to help build Viksit Madhya Pradesh and Viksit Bharat.

Hallmark of the Madhya Pradesh has been consistent, stable yet nimble policy framework coupled with pro-active and transparent governance for sustained growth. Opportunity like never before beckons all prospective investors to come and create lasting partnership for their own prosperity and growth of Madhya Pradesh. We welcome you to come and join the growth story of Viksit Madhya Pradesh.

(Anurag Jain)
Chief Secretary
Madhya Pradesh

The Madhya Pradesh Startup Policy and Implementation Scheme 2025 has been formulated through extensive analysis, benchmarking against leading states, and adopting global best practices. The policy takes a startup-centric approach aligning with ecosystem needs. Initiated in 2024, the Department of Micro Small and Medium Enterprises hosted Regional Industrial Conclaves across Madhya Pradesh and conducted investor, startup founders and other relevant startup ecosystem players interactions at national and international levels. Startup Ecosystem stakeholders were consulted to identify key challenges, which the policy aims to address.

Madhya Pradesh Startup Policy and Implementation Scheme 2025 is a visionary initiative that provides comprehensive assistance to startups from the ideation to the implementation stage. One of the policy's standout features is the 'Entrepreneurs in Residence' support, which offers a safety net to entrepreneurs, cushioning them against capital risk during the critical ideation phase. It incentivizes startups with seed fund grant, startup capital fund of Rs. 100 Crore, collateral-free loans through banks, interest subvention under and operational assistance such as product development grant, patent assistance, lease rental support and marketing support. The policy also has special package for manufacturing-based startups.

Furthermore, the policy's emphasis on holistic development of startup ecosystem through establishment of Mega Incubator in PPP mode, new incubators in government and private host institutes and upgrading existing incubators. The policy will also facilitate mentorship support through focused startup acceleration program and startup events. The State is taking a significant leap forward under this policy by forming a Startup Advisory Council with a diverse panel comprising global leaders, entrepreneurs, and investors among others. This council will steer the State towards cultivating a dynamic and flourishing startup ecosystem.

The policy aims to enhance the entire startup ecosystem of the state and seeks to raise the number of DPIIT-recognized startups in the state to 10,000.

The Madhya Pradesh Startup Centre and the Department of Micro, Small and Medium Enterprises (DoMSME) remain committed to fostering a vibrant and growing startup ecosystem in the State through institutional, infrastructure, financial assistance, partnership and policy support. With a progressive and transparent governance approach, startups are encouraged to establish, expand, and scale their operations in Madhya Pradesh, reinforcing the state's position as a leading startup destination across the nation and globally.

(Raghvendra Kumar Singh)
Principal Secretary
Department of Industrial Policy & Investment Promotion
and Micro, Small and Medium Enterprises

विषयवस्तु

1. परिचय	1
2. विजन	1
3. मिशन	2
4. उद्देश्य	2
5. नीति फोकस क्षेत्र	2
6. नीति की अवधि और प्रयोज्यता	3
7. परिभाषाएँ	3
8. स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलर्स	4
9. राज्य में स्थापित स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता	7
10. विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए विशेष पैकेज -	10
11. राज्य में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर के लिए विशेष वित्तीय सहायता	11
12. स्टार्टअप के लिए विशेष कार्यक्रम	12
13. शासन की शक्तियाँ	13
14. क्षेत्राधिकार	13
परिशिष्ट – 1 प्राथमिकता क्षेत्र की सूची	14
परिशिष्ट – 2 प्रतिष्ठित विज्ञापन प्लेटफार्म	15
मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप कार्यान्वयन योजना, 2025	16

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

म.प्र. स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2025

1. परिचय

राज्य शासन की निवेश मित्र नीतियों, उद्योग एवं व्यापारिक क्षेत्र में सरलीकरण की प्रक्रिया, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना में उल्लेखनीय प्रयासों के फलस्वरूप विगत वर्षों में प्रदेश में निवेश वातावरण में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। राज्य शासन का यह प्रयास रहा है कि नवाचार एवं उद्यमिता के माध्यम से प्रदेश के स्थानीय युवाओं को अधिकाधिक संख्या में रोजगार सृजन किया जा सके। मध्यप्रदेश शासन ने नवाचार, रोजगार और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने में स्टार्टअप की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचाना है। इस हेतु स्टार्टअप को वैश्विक बाजारों और अत्याधुनिक तकनीकों तक पहुँच बनाने में सक्षम तथा युवा उद्यमियों को सशक्त बनाने और मध्यप्रदेश को देश का आदर्श एवं जीवंत स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करने हेतु कार्य जारी है।

नवाचार एवं स्टार्टअप की गतिशीलता, वैश्विक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, विनियामक संशोधनों, भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति एवं भारत सरकार के राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क में हुए बदलाव एवं इस सबसे ऊपर विकसित भारत, राज्य शासन के संकल्प एवं विकसित मध्यप्रदेश के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वर्तमान स्टार्टअप नीति का एक और पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। नवाचार और स्टार्टअप की गतिशीलता, वैश्विक आर्थिक वातावरण में परिवर्तन, विनियामक संशोधनों, भारत सरकार की नवीन शिक्षा नीति और राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग और अति महत्वपूर्ण विकसित भारत और विकसित मध्यप्रदेश के साथ मध्यप्रदेश संकल्प 2023 उददेश्यों की पूर्ति हेतु नीति का एक और पुनरीक्षण आवश्यक हो गया है। अतः स्टार्टअप नीति को अधिक समग्र, समावेशी, एकीकृत एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा "म.प्र. स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2025" लागू करने का निर्णय लिया गया है।

राज्य शासन ने नवीन नीति अन्तर्गत स्कूल/महाविद्यालयीन स्तर से छात्रों में नवाचार एवं स्टार्टअप की भावना जागृत करने के लिए विशेष प्रयास किए हैं। नीति को व्यापक रूप से लागू करने के लिए शासन के विभिन्न अंगों को नीति के प्रावधानों को प्रभावी रूप से अंगीकृत करने के लिए समेकित व्यवस्था की गई है। स्टार्टअप को विभिन्न स्तर पर फण्ड उपलब्ध कराये जाने एवं विभिन्न समस्याओं का समाधान नवाचार के माध्यम से करने के लिए सीड फण्ड, कैपिटल फण्ड, हैकेथोन, इन्क्यूबेशन सपोर्ट प्रोग्राम, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से कॉलेटरल फ्री ऋण/ब्याज अनुदान एवं ऐक्सेलेरेशन कार्यक्रम को शामिल किया गया है।

नीति को मात्र वित्तीय सहायता तक सीमित न रख स्टार्टअप को संस्थागत, ईज ऑफ डूईंग बिजनेस, बुनियादी अधोसंरचना, राज्य की उपार्जन नीति, विपणन तथा अन्य प्रोत्साहनात्मक सहयोग प्रदान करना उददेश्य है।

2. विजन

मध्यप्रदेश को वैश्विक स्तर पर अग्रणी स्टार्टअप हब के रूप में स्थापित करना, जो नवाचार, पूँजी सृजन और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करे। यह पारिस्थितिकी तंत्र रोजगार सृजन, स्थिरता, निवेशकों के विश्वास, नैतिक राजस्व मॉडलों और समान अवसरों को बढ़ावा देगा।

3. मिशन

3.1 राज्य में एक सशक्त और समग्र स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना, जिससे राज्य देशभर में प्रमुख स्टार्टअप गंतव्यों में शामिल हो सके।

3.2 स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को प्रोत्साहित करने के लिए सकारात्मक हस्तक्षेपों और उत्प्रेरक कार्यक्रमों के माध्यम से विकास करना।

3.3 नवाचार, कौशल विकास और निवेश के अवसरों के माध्यम से राज्य को राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उच्च स्थान प्राप्त करने हेतु प्रेरित करना।

4. उद्देश्य

मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2025 के मुख्य उद्देश्य: -

- मध्यप्रदेश में एक समग्र स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण कर, राज्य को देशभर में अग्रणी स्टार्टअप गंतव्यों (Startup Destinations) में से एक बनाना।
- सकारात्मक हस्तक्षेपों (Positive Interventions) और अन्य उत्प्रेरक कार्यक्रमों (Catalytic Programs) के माध्यम से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का विकास करना।
- स्टार्टअप इंडिया, भारत सरकार द्वारा अधिमान्यता प्राप्त (recognized) स्टार्टअप्स की संख्या को 10,000 तक बढ़ाना।
- कृषि और खाद्य क्षेत्र में अधिमान्यता प्राप्त 100 स्टार्टअप को ग्रोथ स्टेज तक पहुँचाना।
- विनिर्माण आधारित स्टार्टअप्स की संख्या में वृद्धि करना।
- प्राथमिकता क्षेत्रों में नवीन इन्क्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना और मौजूदा इन्क्यूबेशन सेंटर्स की क्षमता का विस्तार करना।
- स्कूल/महाविद्यालयीन स्तर पर छात्रों में नवाचार और स्टार्टअप की भावना विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाना।
- नवाचार और स्टार्टअप्स के माध्यम से आर्थिक और सामाजिक समस्याओं को हल करने की संस्कृति विकसित करना।
- भारत सरकार की राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क एवं प्रतिस्पर्धा प्रवृति के अन्य रैंकिंग फ्रेमवर्क में उच्च स्थान प्राप्त करना।
- प्री-स्टार्टअप चरण (Pre-Startup Stage) और प्राथमिक चरण के स्टार्टअप्स को व्यापक सहयोग प्रदान करना।
- मध्यप्रदेश में कार्यरत सभी प्रमुख कंपनियों को उनके सीएसआर गतिविधियों के एक अभिन्न अंग के रूप में कॉरपोरेट नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास, कौशल विकास, और निवेश तक पहुंच प्रदान करके राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सहयोग देने के लिए प्रोत्साहित करना।

5. नीति फोकस क्षेत्र

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नीति छः स्तंभों के अनुसरण पर केंद्रित है -

5.1 नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।

5.2 वित्तीय एवं गैर-वित्तीय सहायता।

5.3 विनिर्माण आधारित स्टार्ट-अप्स को प्रोत्साहन।

5.4 संस्थागत सहयोग।

5.5 विपणन सहयोग।

5.6 अधोसंरचना सहयोग।

6. नीति की अवधि और प्रयोज्यता

यह नीति मध्यप्रदेश में, अपनी अधिसूचना की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए, या किसी अन्य नीति द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने तक प्रभावी रहेगी।

7. परिभाषाएँ

7.1. **"अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड** (AIF)**"** से अभिप्रेत है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड) रेगुलेशन, 2012 अंतर्गत परिभाषित फंडिंग संस्थान।

7.2. **"होस्ट इंस्टिट्यूट"** से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश में स्थित कोई भी विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा संस्थान, औद्योगिक संस्थान/स्मार्ट सिटी कंपनियां एवं राज्य शासन और केंद्र सरकार की संस्थाए।

7.3. **"इन्क्यूबेटर"** से अभिप्रेत है एक ऐसा संगठन जो स्टार्टअप इकाइयों को प्रारंभिक चरण में सहयोग प्रदान करता हो और उन्हें व्यावसायिक सहायता, संसाधन और सेवाओं के द्वारा एक स्केलेबल व्यवसाय मॉडल विकसित करने में सहायता करता हो।

7.4. **"मध्यप्रदेश स्टार्टअप सलाहकार परिषद"** से अभिप्रेत है सलाहकारी परिषद प्रदेश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु आवश्यक उपायों पर सलाह देगी, ताकि सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें।

7.5. **"प्राथमिक क्षेत्र** (Priority Sector)**"** से अभिप्रेत नीति अंतर्गत परिशिष्ट - **I** में विभाग द्वारा चिन्हित ऐसे कार्यक्षेत्र से है जो नवीन व भविष्य-उन्मुख हो और जिसमें आर्थिक विकास में योगदान की पर्याप्त संभावना हो। वैश्विक परिदृश्य एवं राज्य की आवश्यकता अनुरूप विभाग द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र में संशोधन किया जा सकेगा।

7.6. **"विनिर्माण आधारित स्टार्टअप"** से अभिप्रेत है एक ऐसा स्टार्टअप जो संगठित तरीके से एक उत्पाद का निर्माण करता है, जिसका एक भौतिक आकार हो और इकाई भारत सरकार के उद्यम पंजीकरण (**Udyam Registration**) के तहत विनिर्माण गतिविधि (**Manufacturing activity**) के लिए पंजीकृत होकर, विनिर्माण इकाई मध्यप्रदेश में स्थापित हो।

7.7. **"प्रतिष्ठित विज्ञापन प्लेटफार्म"** से अभिप्रेत नीति के परिशिष्ट - II अंतर्गत सूचीबद्ध प्लेटफार्म।

7.8. "**स्टार्टअप**" से अभिप्रेत है ऐसी इकाई से है जो भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के अधीन स्टार्टअप इण्डिया से मान्यता (recognized) प्राप्त हो एवं मध्यप्रदेश राज्य में पंजीकृत/निगमित हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला, दिव्यांगजन या ट्रांसजेंडर श्रेणी के प्रमोटरों द्वारा प्रवर्तित स्टार्टअप में उनकी भागीदारी **51%** से कम न हो।

7.9. **“राज्य शासन”** - सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग, मध्यप्रदेश शासन।

7.10. **“राज्य स्तरीय स्टार्टअप साधिकार समिति”** से अभिप्रेत है नीति के सुगम क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण एवं राज्य नवाचार चुनौती अन्तर्गत स्टार्टअप स्क्रीनिंग एवं चयन हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति।

7.11. “**सफल स्टार्टअप**” से अभिप्रेत है कि यदि वह निम्नलिखित किसी भी परिस्थिति को पूरा करता है, तो उसे 'सफल' माना जाएगा:

- **(i)** स्टार्टअप को **SEBI** पंजीकृत एआईएफ (**Alternative Investment Fund**) से श्रेणी 1 एवं 2 फंड या एंजल नेटवर्क्स से कम से कम रुपये 25 लाख का कुल इक्विटी वित्त पोषण प्राप्त हुआ हो; अथवा
- **(ii)** भारत सरकार या मध्यप्रदेश शासन से कम से कम रुपये 5 लाख का वित्त पोषण/अनुदान स्वीकृत हो; अथवा
- **(iii)** स्टार्टअप की पिछले छह महीने की मासिक कमाई दर रुपये 10 लाख या उससे अधिक प्राप्त की हो।

7.12. **“टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेटर** (TBI)**”** से अभिप्रेत है विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक अनुसंधान संस्थानों, स्थानीय प्रशासन और निजी संस्थानों का एक उपक्रम, जो नई प्रौद्योगिकी उद्यम को बढ़ावा देने और आधार देने के लिए कार्य करता हो।

7.13. “**ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम** (TREDS)” प्लेटफॉर्म से अभिप्रेत है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा परिभाषित ट्रेड रिसीवेबल डिस्कॉउस्टिंग सिस्टम एवं इस कार्य हेतु स्वीकृत संस्था।

8. स्टार्टअप इकोसिस्टम एनेबलर्स

स्टार्टअप्स एवं इन्क्यूबेटर्स पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने तथा उन्हें आवश्यक सहयोग/सहायता प्रदान करने के लिए संस्थागत, विपणन, वित्तीय तथा स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम प्रमुख होते हैं।

8.1 संस्थागत सहयोग -

8.1.1 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सलाहकार परिषद

प्रदेश में नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु आवश्यक उपायों पर सलाह के लिए मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। जिसमे स्टार्टअप इकोसिस्टम के प्रख्यात स्टार्टअप उद्यमी, निवेशक, अकादमिक क्षेत्र के विशेषज्ञ, प्रदेश में स्थापित प्रमुख वृहद् उद्योगों के प्रवर्तक/वरिष्ठ कार्यकारी, आईटी क्षेत्र के लीडर, एवं क्षेत्र से संबंधित अन्य आमंत्रित शामिल होंगे।

8.1.2 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर का निर्दिष्टिकरण एवं विस्तार-

मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम (MPLUN) के संरक्षण में कार्यकारी प्रमुख, विषय विशेषज्ञों के साथ मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर (MPSC) का सशक्तिकरण एवं विस्तार किया जायेगा और संस्थागत रूप प्रदान किया जायेगा। जिससे राज्य के सभी स्टार्टअप्स को सर्वश्रेष्ठ आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा सके और सभी हितधारकों के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये जा सकें। यह केंद्र राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने, सुदृढ़ करने और सुविधा प्रदान करने के लिए एक समर्पित एजेंसी के रूप में कार्य करता रहेगा।

मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर के दायरे को ध्यान में रखते हुए, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर या अन्य शहर में आवश्यकता अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर एक पृथक स्वतंत्र विधिक इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 के सेक्शन 8 अंतर्गत गैर-लाभकारी कंपनी या मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, विभाग अपने अधीनस्थ संस्थानों के माध्यम से प्रमुख नगरों में स्टार्टअप्स के लिए को-वर्किंग स्पेस भी प्रदान करेगा। आवश्यकता होने पर अन्य राज्य सरकार विभागों और उनके निगमों के साथ भी सहयोग किया जाएगा ताकि स्थान उपलब्ध कराया जा सके।

8.1.3 स्टार्टअप सेंटर के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र

i. राज्य के स्टार्टअप्स को मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।
ii. नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं के लाभ हेतु पदाभिहित पोर्टल के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स एवं इन्क्यूबेटर्स द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का समुचित परीक्षण उपरांत अपने प्रतिवेदन सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को विचारार्थ प्रस्तुत करेगा तत्पश्चात संतुष्टि उपरांत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम पात्र एवं पूर्ण प्रकरणों को अनुशंसा सहित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग को अंतिम अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। अंतिम अनुमोदन एवं स्वीकृति उपरांत आवेदकों को डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सुविधा राशि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से वितरित की जावेगी।
iii. विभिन्न विभागों के साथ समन्वय/नियमानुसार सहयोग करना ताकि पारिस्थितिकी तंत्र के सुचारु संचालन के लिए आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त हो सकें।
iv. यह राज्य में स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र की समीक्षा कर राज्य सरकार को आवश्यक अनुशंसा करेगा।
v. केंद्र का उद्देश्य राज्य में उद्यमिता, अभिनव और स्टार्ट-अप उद्यमिता को बनाने और समर्थन करने के उद्देश्य से नवाचार संचालित स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर, इस प्रकार मध्यप्रदेश को एक आत्मनिर्भर स्टार्ट-अप और इनोवेशन हब बनाना है।
vi. यह स्टार्टअप्स को विभिन्न निवेश, बाजार और अन्य संबंधित मंचों पर अपनी सेवाएं/उत्पाद प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
vii. यह मेंटॉरशिप समर्थन प्रदान करने में भी मदद करेगा और आवश्यक निवेशकों से पूंजी/अन्य वित्तपोषण जुटाने में सहयोग देगा।
viii. मास्टर डेटाबेस तैयार करना।
ix. स्टार्टअप्स को कंपनी और कर संबंधी कानूनों के संदर्भ में उनके द्वारा सामना की जा रही समस्याओं के समाधान में मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करना।
x. राज्य और बाहर संबंधित इवेंट्स के तहत बूट कैंप, चैलेंज प्रतियोगिताएं, रोड शो और निवेशक बैठकें/वर्कशॉप आयोजित करना।
xi. स्टार्टअप्स और इन्क्यूबेटर्स के लिए केंद्र सरकार के समस्त मंत्रालयों एवं राज्य के विभागों से समन्वय हेतु एक सिंगल विंडो एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।
xii. प्री-मार्केट अध्ययन और मूल्यांकन।

xiii. किसी भी स्वीकृति/प्रोत्साहन और अन्य मुद्दों से संबंधित शिकायतों का निवारण निर्धारित प्रक्रिया के तहत करना।

8.1.4 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर की क्षमता को सुदृढ़ करना

मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर की क्षमता को मजबूत करने के लिए राज्य के स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का सहयोग करने के लिए आवश्यकता अनुसार टीम संरचना को सशक्त किया जाएगा। इसमें नवाचार, वित्त, इन्क्यूबेशन, व्यापार विकास, विपणन, कानूनी अनुपालन आदि जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विषय विशेषज्ञों को ओनबोर्ड किया जाएगा। स्टार्टअप नीति एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेण्टर के अंतर्गत एक सशक्त प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) की स्थापना की जायेगी।

8.1.5 मेगा इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना

प्रदेश में स्टार्टअप उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए नवाचार और व्यवसायिक विकास के लिए एक संगठित पारिस्थितिकी तंत्र उपलब्ध कराने हेतु विभाग द्वारा मेगा इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना की जायेगी, जहाँ स्टार्टअप को स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट आधारभूत संरचना के साथ मेंटरशिप, निवेश, डिजाईनिंग, अनुसंधान और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किया जाएगा, जिससे वे राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगें। उक्त मेगा इन्क्यूबेशन सेण्टर के विकास एवं संचालन के लिए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर की अग्रणी सस्थाओं को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership) हेतु आमंत्रित किया जाएगा। इस मेगा इन्क्यूबेशन सेण्टर के सॅटॅलाइट सेण्टर प्रदेश के अन्य उपयुक्त स्थानों में स्थापित किये जायेंगे। सेंटर भारत सरकार के **MAARG** (Mentorship, Advisory, Assistance, Resilience and Growth) Portal में पंजीकृत मेंटर्स का सहयोग प्राप्त करेगा।

8.1.6 रिवाइवल हेतु सहयोग

मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर ऐसे स्टार्टअप्स को सहायता देगा जो वित्तीय बाधाओं या अन्य महत्वपूर्ण व्यवहारिक चुनौतियों के कारण परिचालन कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। सेण्टर इन्क्यूबेटरों और निजी क्षेत्र के भागीदारों के सहयोग से इन स्टार्टअप्स को अपने बिजनेस मॉडल को पुनर्गठित करने हेतु मार्गदर्शन सहायता प्रदान करेगा।

8.2 स्टार्टअप पोर्टल का उन्नयन

राज्य के समर्पित स्टार्टअप पोर्टल को सूचना प्रसार एवं सरलीकरण, क्षमता विस्तार, इकोसिस्टम की गतिविधि को मैप करने और नीति अंतर्गत सहायता के लिए आवेदन प्रक्रिया सरलीकृत करने के लिए और सशक्त बनाया जावेगा। इसके अतिरिक्त, जानकारी को अधिक सुलभ बनाने के लिए मोबाइल ऐप, सीएमहेल्पलाइन की तर्ज पर सुदृढ़ स्टार्टअप हेल्पलाइन, एआई आधारित चैटबॉट और समर्पित आईटी सेल विकसित किया जावेगा।

8.3 अकादमिक, तकनीकी और मेंटरशिप सहायता हेतु भागीदारी

राज्य में विशेष रूप से विनिर्माण आधारित स्टार्टअप्स और नवाचारों को प्रोत्साहित करने और तकनीकी और मार्गदर्शन सहायता प्रदान करने के लिए, उन्हें राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय तकनीकी और

प्रबंधन संस्थानों/विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों से आवश्यक सहायता और भागीदारी प्राप्त होगी। मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर तकनीकी परीक्षण, अनुसंधान और विकास समर्थन के लिए MSME टेक्नोलॉजी सेंटर, इंदौर और भोपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन भोपाल, IISER भोपाल, IIITDM जबलपुर, NIFT भोपाल, IIT इंदौर, NIT भोपाल, IIM इंदौर, AIIMS भोपाल, ICMR, RRCAT इंदौर या अन्य केंद्र/राज्य विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/ संस्थान/अनुसंधान संगठन के साथ सहयोग करेगा।

शैक्षणिक संस्थान संचालित करने वाले सभी विभाग छात्रों को नवाचार एवं उद्यमिता से जोड़ने के लिए मध्यप्रदेश युवा नीति अंतर्गत इच्छुक एवं पात्र छात्रों को स्टूडेंट इनोवेशन फण्ड के माध्यम से प्रोत्साहित करने हेतु प्रयास करेंगे। प्रदेश के अधिकाधिक विद्यालयों में भारत सरकार के सहयोग से अटल टिंकरिंग लैब्स की स्थापना की जायेगी, जिससे माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों में नवाचार एवं उद्यमिता की भावना स्वप्रेरणा से जागृत की जा सकेगी। प्रदेश के प्रत्येक जिले में भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की रैंम्प योजना (Raising and Accelerating MSME Performance Scheme) अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलिटेक्निक महाविद्यालयों, अभियांत्रिकी महाविद्यालयों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थाओं में नवाचार एवं उद्यमिता के प्रसार हेतु इन्क्यूबेशन सेण्टर की स्थापना की जायेगी।

9. राज्य में स्थापित स्टार्टअप्स के लिए वित्तीय सहायता

मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं के लाभ हेतु पदाभिहित पोर्टल के माध्यम से पात्र स्टार्टअप्स एवं इन्क्यूबेटर्स द्वारा प्रस्तुत आवेदनों का समुचित परीक्षण उपरांत अपने प्रतिवेदन सहित प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम को विचारार्थ प्रस्तुत करेगा, तत्पश्चात संतुष्टि उपरांत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम पात्र एवं पूर्ण प्रकरणों को अनुशंसा सहित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग को अंतिम अनुमोदन एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत करेंगे। अंतिम अनुमोदन एवं स्वीकृति उपरांत आवेदकों को डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सुविधा राशि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से वितरित की जावेगी। नीति अंतर्गत प्रावधानित सुविधाओं/सेवाओं को “मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010” अंतर्गत निश्चित की गई समय सीमा में प्रदाय करने हेतु सम्मिलित किया जावेगा।

9.1 स्टार्टअप के लिए सामान्य वित्तीय सहायता

9.1.1 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सीड फण्ड सहायता

चयनित स्टार्टअप को अधिकतम 30 लाख रुपये तक अनुदान सहायता दिया जाएगा। यह सीड फण्ड चयनित इन्क्यूबेटरों के माध्यम से स्टार्टअप को दिया जायेगा। सीड फण्ड मैनपावर, व्यावसायिक सेवाओं, उपभोग्य सामग्री, हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर/ कच्चे माल की लागत, विनिर्माण आउटसोर्सिंग, उत्पाद परीक्षण, बाजार अनुसंधान, मार्केट एंट्री, कमर्शियलाइजेशन या स्केलअप के लिए प्रदान किया जाएगा। अनुदान का उपयोग स्टार्टअप द्वारा किसी निर्माण कार्य/ भूमि/ सम्पति/ स्थायी पूँजी हेतु नहीं किया जाएगा। फंडिंग की किस्तें संबंधित इनक्यूबेटर द्वारा प्रस्तुत स्टार्टअप की प्रगति के अधीन होंगी।

9.1.2 स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट (कैपिटल) फंड

राज्य शासन द्वारा ₹100 करोड़ का स्टार्टअप कैपिटल फंड की स्थापना की जाएगी। राज्य शासन चिन्हित एवं एम्पेनल्ड एआईएफ (अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स) अंतर्गत अधिकतम 50 करोड़ की राशि निवेश करेगी। एम्पेनल्ड एआईएफ मध्यप्रदेश के **DPIIT** अधिमान्य स्टार्टअप्स में ₹100 करोड़ का निवेश करेंगे।

9.1.3 प्राप्त निवेश/ऋण पर सहायता -

ऐसे स्टार्टअप, जिसको SEBI (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड)/ RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) द्वारा मान्यता प्राप्त वित्तीय संस्थान/ बैंक/ अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फण्ड आदि से फण्ड/ निवेश/ ऋण प्राप्त हुआ है, को प्राप्त राशि के 15% की दर से अधिकतम 15 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। यह सहायता प्राप्त प्रत्येक निवेश/ऋण के लिए स्टार्टअप के स्टार्टअप इंडिया द्वारा निर्धारित जीवनकाल के दौरान अधिकतम चार बार, अधिकतम रुपये 60 लाख की सीमा अंतर्गत देय होगी। ऋण अदायगी की अवधि एक वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। उक्त सहायता राज्य और केन्द्र सरकार की योजना के अंतर्गत ऋण/सीसीडी अथवा इक्विटी प्राप्त होने पर भी देय होगी। लेकिन किसी भी प्रकार के अनुदान (Grant) हेतु देय नहीं होगा।

एससी, एसटी, महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों या ट्रांसजेंडर उद्यमियों द्वारा स्थापित स्टार्टअप को अतिरिक्त 3% सहायता मिलेगी, यानी अधिकतम 18 लाख रुपये तक कुल 18% सहायता। यह उल्लिखित शर्तों के अनुसार ₹ 72 लाख की अधिकतम सीमा के भीतर चार बार उपलब्ध होगा।

9.1.4 मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत स्टार्टअप्स को बैंकों के माध्यम से ऋण -

मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना अंतर्गत स्टार्टअप्स को बैंकों के माध्यम से कोलेट्रल मुक्त ऋण **(Collateral Free Loan)** उपलब्ध कराकर उन्हें भारत सरकार की "स्टार्टअप्स हेतु ॠण गारंटी स्कीम **(Credit Guarantee Scheme for Startups)** अंतर्गत कवरेज तथा प्रचलित दर पर देय गारंटी शुल्क की प्रतिपूर्ति (अधिकतम वर्षों तक 05) एवं वितरित ॠण पर प्रतिशत 05 प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान प्रतिपूर्ति (अधिकतम वर्षों तक 05) की जायेगी। योजनांतर्गत ॠण प्राप्त स्टार्टअप्स को नीति की कंडिका **(9.1.3)** में निहित प्रावधान अनुसार ॠण पर सहायता की पात्रता शर्तों के अध्याधीन होगी।

9.2 स्टार्टअप परिचालन हेतु वित्तीय सहायता

9.2.1 उद्यमिता प्रोत्साहन - आन्टेप्रेन्योर-इन-रेसिडेंस (ईआईआर) सहायता

प्रत्येक स्टार्टअप को 12 महीने तक की अवधि के लिए 10,000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदाय की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों/कामकाजी पेशेवरों को एक संभावित करियर के रूप में उद्यमिता अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। योग्य स्टार्टअप इस सहायता को **DPIIT** द्वारा मान्यता प्राप्त करने की दिनांक से 2 साल की अवधि के भीतर केवल 12 माह तक के लिए प्राप्त कर सकते हैं।

9.2.2 प्रोडक्ट/प्रोटोटाइप सहायता-

राज्य/केंद्र सरकार के स्वामित्व वाले/वित्त पोषित संस्थान/ कॉलेज/ विश्वविद्यालय/ वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान संगठन के माध्यम से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, प्रौद्योगिकी विकास, उत्पाद विकास, उत्पाद डिजाइनिंग, ब्रांडिंग और विपणन विकास और परामर्श, पैकेजिंग परामर्श आदि पर हुए कुल व्यय हेतु प्रति स्टार्टअप 100% एवं अधिकतम 15 लाख तक की सीमा तक प्रतिपूर्ति सहायता दी जाएगी।

9.2.3 पेटेंट सहायता-

राज्य के स्टार्टअप्स के नाम पर पेटेंट प्राप्त करने पर अधिकतम ₹5 लाख तक की 100% सहायता प्रदान की जाएगी। इसमें पेटेंट प्राप्त करने के लिए समस्त आवश्यक शुल्क और परामर्श सेवाओं की लागत शामिल होगी। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय पेटेंट के लिए 100% सहायता दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा ₹20 लाख होगी।

9.2.4 लीज रेंटल असिस्टेंस -

कार्यरत स्टार्टअप्स द्वारा लीज/किराये पर लिए गए कार्यस्थल के लिए प्रतिमाह भुगतान किए गए किराए पर तीन साल के लिए 50% लीज रेंटल सहायता अधिकतम 10000 रुपये की सीमा तक प्रति माह तक दी जाएगी। उक्त सहायता राज्य सरकार के स्वामित्व वाले या सहायता प्राप्त औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों/क्लस्टरों में स्थापित विनिर्माण आधारित स्टार्टअप को पट्टे पर लिए गए भूखंड/शेड/निर्मित स्थान पर उनके द्वारा भुगतान किए गए पट्टा किराए और मेंटेनेंस शुल्क पर भी उपलब्ध होगी। यह सहायता इन्क्यूबेशन केंद्रों में कार्यरत स्टार्टअप्स द्वारा कार्यस्थल/सीट हेतु भुगतान/शुल्क के लिए भी लागू होगी।

9.2.5 ऑनलाइन विज्ञापन सहायता -

गूगल, मेटा एवं परिशिष्ट-II अनुसार अन्य प्रतिष्ठित विज्ञापन प्लेटफार्म पर स्टार्टअप के विज्ञापन व्यय के लिए 100% सहायता अधिकतम ₹3 लाख तक सीमा तक एक वर्ष के लिए दी जाएगी। यह सहायता उन स्टार्टअप को दी जाएगी, जो आवेदन के समय 2 वर्ष से अधिक समय पहले निगमित नहीं हुए हों और नीति अवधि में केवल एक बार ही इसका लाभ उठाया जा सकेगा। परिशिष्ट-II अनुसार अन्य प्रतिष्ठित विज्ञापन प्लेटफार्म की सूची में विभाग द्वारा समय समय पर परिवर्तन किया जा सकेगा।

9.2.6 आयोजन सहभागिता सहायता-

स्टार्टअप संबंधित आयोजनों हेतु यात्रा, ठहरने, स्टॉल एवं सहभागिता शुल्क आदि हेतु किये गए व्यय पर निम्नानुसार सहायता प्रदान की जाएगी -

a) घरेलू आयोजन - देश के अन्दर स्टार्टअप केंद्रित घरेलू आयोजनों में सहभागिता के लिए 75% व्यय की प्रतिपूर्ति, ₹50,000 तक की अधिकतम सीमा तक।
b) अंतर्राष्ट्रीय आयोजन - विदेश में स्टार्टअप केंद्रित अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में सहभागिता के लिए 75% व्यय की प्रतिपूर्ति ₹1,50,000 की अधिकतम सीमा तक।

10. विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए विशेष पैकेज -

10.1 विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए प्रशिक्षण व्यय प्रतिपूर्ति

स्टार्टअप की तकनीकी और कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्य एवं केंद्र शासन से अधिमान्य संस्थान के माध्यम से प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए व्यय की प्रतिपूर्ति सहायता अधिकतम 25 कर्मचारियों के लिए प्रति नए कर्मचारी प्रति वर्ष 13,000 रुपये की दर से तीन वर्षों के लिए प्रदान की जाएगी। यह सहायता केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम की न्यूनतम अवधि एक माह होगी ।

10.2 विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए रोजगार सृजन सहायता

विनिर्माण आधारित स्टार्टअप को अधिकतम 25 कर्मचारियों के लिए प्रति कर्मचारी प्रति माह रुपये 5,000 रुपये की सहायता तीन वर्षों के लिए दी जायेगी। यह सहायता इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी। इसका मतलब है कि तीसरे वर्ष में नियुक्त नया कर्मचारी उसकी नियुक्ति की तिथि से अगले दो वर्षों के लिए रोजगार सृजन सहायता के लिए पात्र होगा। यह सहायता निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:-

क्र	समयावधि	इकाई उत्पादन दिनांक प्रारंभ होने से कुल नियोजित कर्मचारियों में से मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को उपलब्ध रोजगार का न्यूनतम औसत प्रतिशत
1	1 वर्ष के अन्दर	50 %
2	2 वर्ष के अन्दर	75 %
3	3 वर्ष के अन्दर	90 %

यदि उपरोक्त शर्त पूरी नहीं की जाती है, तो इकाई को प्रदान की जा रही रोजगार सृजन सहायता में आनुपातिक रूप से कटौती की जाएगी।

10.3 विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए विद्युत ड्यूटी से छूट

विनिर्माण आधारित स्टार्टअप हेतु सभी पात्र नई इकाइयों को नवीन विद्युत कनेक्शन पर 3 वर्षों के लिए विद्युत ड्यूटी से छूट।

10.4 विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए विद्युत टैरिफ हेतु प्रतिपूर्ति सहायता

विनिर्माण आधारित स्टार्टअप हेतु नवीन विद्युत कनेक्शन पर 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से सहायता इकाई में वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से 3 साल के लिए की जाएगी।

10.5 विनिर्माण आधारित स्टार्टअप के लिए मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति एवं कार्यान्वयन योजना अंतर्गत सहायता

विनिर्माण आधारित स्टार्टअप हेतु इकाई की स्थापना के लिए प्रचलित म.प्र. एमएसएमई विकास नीति के अंतर्गत पात्रतानुसार सहायता नीति में निहित शर्तों के अधीन प्रदान की जायेगी।

11. राज्य में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर के लिए विशेष वित्तीय सहायता

इन्क्यूबेटरों के लिए नियम और शर्तें

i. इन्क्यूबेटर एक वैधानिक इकाई होगी जो (अ) सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 या मध्यप्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 के तहत पंजीकृत एक सोसाइटी हो अथवा (ब) भारतीय ट्रस्ट एक्ट, 1882 के तहत पंजीकृत एक ट्रस्ट हो अथवा (स) कंपनी अधिनियम, 1956 या कंपनी अधिनियम, 2013 (Companies Act 1956 or Companies Act, 2013) के तहत पंजीकृत एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अथवा कम्पनी अधिनियम अंतर्गत सेक्शन 8 पंजीकृत कंपनी हो अथवा (द) एक वैधानिक निकाय (statutory body) जिसे किसी विधायी अधिनियम (legislative act) के माध्यम से बनाया गया हो।

ii. इन्क्यूबेटर के पास न्यूनतम 20 इन्क्यूबेटीज़ (incubatees) की क्षमता एवं पर्याप्त सुविधा हो।

iii. इन्क्यूबेटर के पास एक पूर्णकालिक (full-time) प्रमुख/सीईओ हो, जो व्यवसाय विकास और उद्यमशीलता में अनुभव रखता हो और जिसके साथ एक कुशल टीम हो। यह टीम स्टार्टअप्स के विचारों के परीक्षण और मान्यता (Testing and Validating Ideas) के साथ-साथ वित्त (Finance), विधिक (Legal) और मानव संसाधन कार्यों में मार्गदर्शन प्रदान करती हो।

iv. इन्क्यूबेटर के पास कम से कम 5000 वर्गफीट (निर्मित क्षेत्र) का आवश्यक सुविधा युक्त (furnished and well-equipped) स्थान हो।

v. इन्क्यूबेटर का मध्यप्रदेश में स्थापित और संचालित होना अनिवार्य होगा।

vi. इन्क्यूबेटर पिछले 2 वित्तीय वर्षों से संचालित हो तथा पिछले 2 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

vii. नीति के तहत किसी भी सहायता के लिए आवेदन करते समय इनक्यूबेटर द्वारा वास्तविक रूप से कम से कम 5 डीपीआईआईटी (DPIIT) से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को इन्क्यूबेट किया हो।

viii. इन्क्यूबेटर को अपने कुल बैठने की जगह का न्यूनतम 50% DPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित करना होगा।

ix. राज्य या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित इन्क्यूबेटरों के लिए 2 वर्ष तक संचालित होने की बाध्यता से छूट होगी।

11.1 नवीन इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापना हेतु सहायता -

होस्ट इंस्टिट्यूट अंतर्गत न्यूनतम 20 इन्क्युबेटीज़ की सुविधा युक्त और 5000 वर्ग फीट (न्यूनतम निर्मित क्षेत्र) वाले नए इनक्यूबेटर स्थापित करने हेतु निम्नानुसार पूंजीगत सहायता दी जावेगी -

अ. शासकीय/अर्धशासकीय एवं शासन द्वारा वित्त पोषित होस्ट इंस्टिट्यूट को इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) का 100% पूंजी सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक होगा।

ब. निजी होस्ट इंस्टिट्यूट को इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापित करने के लिए पूंजी निवेश (भूमि और भवन लागत को छोड़कर) का 50% पूंजी सहायता अनुदान प्रदान किया जाएगा, जो अधिकतम 50 लाख रुपये तक होगा।

11.2 इन्क्यूबेशन सेण्टर को आयोजन सहायता-

मध्यप्रदेश में स्थित इन्क्यूबेटर्स को प्रत्येक आयोजन के लिए अधिकतम ₹5 लाख की राशि की प्रतिपूर्ती सहायता जिससे स्टार्टअप्स से संबंधित इवेंट्स का आयोजन किया जा सके, जिसका वार्षिक सीमा अधिकतम ₹20 लाख होगी। सहायता की राशि आयोजक के अंशदान से अधिक नहीं होगी।

11.3 इन्क्यूबेशन सेण्टर उन्नयन सहायता

इन्क्यूबेशन सेण्टर को अपग्रेड करने के लिए उत्पाद या प्रोटोटाइप विकास हेतु आवश्यक मशीन/उपकरण जैसे फैब लैब उपकरण, 3डी प्रिंटर आदि एवं उनके संचालन हेतु आवश्यक सॉफ्टवेयर्स हेतु किये गए व्यय का 50% एवं अधिकतम 10 लाख तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह सहायता नीति अवधि में इन्क्यूबेशन सेण्टर को अधिकतम दो बार प्रदान की जाएगी।

11.4 इन्क्यूबेशन सेण्टर भूमि आवंटन

विनिर्माण-विशिष्ट इनक्यूबेशन केंद्र, जो कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत धारा 8 के अंतर्गत पंजीकृत एवं स्थापित एक गैर-लाभकारी संगठन होगा, को विभाग के अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रचलित विभागीय औद्योगिक भूमि आवंटन नियम अंतर्गत उद्योगों के समान दरों पर भूमि आवंटन हेतु प्रावधान किये जायेंगे।

12. स्टार्टअप के लिए विशेष कार्यक्रम

12.1 राज्य नवाचार चुनौती (State Innovation Challenge)

प्रदेश में उच्च प्रभाव वाले चार आर्थिक-सामाजिक समस्याओं के निवारण हेतु प्राप्त एवं चयनित व्यवसायिक रूप से व्यवहारिक अवधारणा को विशेष वित्तीय सहायता प्रदान की जावेगी। इस हेतु सभी प्रकार की संस्थाओं (स्टार्ट-अप्स सहित) से अवधारणा आमंत्रित कर उन्हें सर्व संबंधित विभागों को उनके अभिमत हेतु परिचालित किया जावेगा। विभागों की अनुशंसा पर अवधारणाओं को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस परिप्रेक्ष्य में गठित स्क्रीनिंग/चयन साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा। समिति उक्त अवधारणाओं की विशिष्ठता, गुण-दोष एवं समस्या निवारण क्षमता के आधार पर चार श्रेष्ठ अवधारणाओं का चयन करेगी। चयनित स्टार्ट-अप्स के मूल्यांकन एवं निगरानी संबंधी कार्य एमपी स्टार्टअप सेंटर द्वारा विषय विशेषज्ञों के परामर्श से किया जावेगा। सहायता का स्वरूप निम्नानुसार होगा-

- अधिकतम 1 करोड़ रुपये की अनुदान राशि, जो अधिकतम चार चरणों में या सक्षम समिति द्वारा निर्धारित निर्णय के अनुसार प्रदान की जाएगी। चयनित स्टार्टअप का मूल्यांकन, निगरानी और मूल्यांकन एमपी स्टार्टअप सेंटर द्वारा विषय विशेषज्ञों के परामर्श से उनके द्वारा किए गए कार्य के आधार पर किया जाएगा।
- सभी आवश्यक लाइसेंस/स्वीकृति शुल्क से छूट या प्रतिपूर्ति और कार्योत्तर स्वीकृति।
- राज्य में दो वर्षों के लिए क्रय में सहायता।
- सभी चयनित समाधानों को राज्य शासन के स्वामित्व वाले इन्क्यूबेटर्स के साथ जोड़ा जाएगा, ताकि R&D सहयोग, प्रयोगशाला उपयोग, सुविधाओं के उपयोग, कार्यालय स्थान और बैठक व्यवस्था के साथ नियमित निगरानी की जा सके।
- यदि किसी विनिर्माण-आधारित स्टार्टअप का चयन किया जाता है, तो उसे इस नीति के तहत विनिर्माण-आधारित सुविधाओं का भी लाभ मिल सकेगा।

12.2 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर एक्सेलरेशन कार्यक्रम

एक्सेलेरेशन कार्यक्रम लघु से मध्यम अवधि (न्यूनतम 12 सप्ताह) का गहन मेंटरिंग कार्यक्रम है, जो एक विचार से औपचारिक उत्पाद लॉन्च तक बढ़ गए स्टार्टअप को ग्रोथ स्टेज तक न्यूनतम समय में पहुँचाने हेतु सहयोग करने के लिए आयोजित किये जायेंगे। प्रत्येक प्रोग्राम हेतु चयनित इनक्यूबेटर को 15 स्टार्टअप के लिए अधिकतम 15 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जायेगी।

12.3 मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर हैकथॉन कार्यक्रम

इस योजना में विभागों की एवं राज्य की अन्य अथवा थीम आधारित समस्या विवरण (प्रॉब्लम स्टेटमेंट) प्रकाशित कर स्टार्टअप को अभिनव समाधान विकसित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। चयनित स्टार्टअप को प्रति स्टार्टअप 5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता मिलेगी।

12.4 मध्यप्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड

अनुकरणीय स्टार्टअप और इनक्यूबेटरों एवं अन्य अग्रणी हितधारकों को पहचानने और सम्मानित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों में मध्यप्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड्स दिए जायेंगे।

12.5 स्टार्टअप इवेंट

स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों और हितधारकों को एक मंच पर लाने के लिए मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर सम्मेलनों, व्यापार शो, मीटअप, बूथ शिविर, मेंटरिंग सत्र, स्टार्टअप मेला, डेमो-डे, इन्वेस्टर डे, स्टार्टअप यात्रा, स्टार्टअप एक्सचेंज प्रोग्राम और वृहद् स्तर पर राज्य स्तरीय स्टार्टअप कॉन्क्लेव सहित नेटवर्किंग कार्यक्रमों का आयोजन और सहयोग करेगा।

13. शासन की शक्तियाँ

- स्टार्टअप और इन्क्यूबेटरों को मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा जारी प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार नीति अंतर्गत सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश अंतर्गत संशोधन हेतु अनुमोदन विभाग द्वारा प्रशासकीय अनुमोदन से किया जाएगा। किसी भी प्रकार की मुद्रण/तथ्यात्मक प्रकार की त्रुटि एवं भ्रांति हो, तो हिंदी तथा अंग्रजी रूपांतर में से हिंदी रूपातंर को मानक माना जायेगा।
- नीति के तहत प्रावधानों के अधीन, मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग किसी भी समय -
  - ➢ इस नीति में संशोधन या निरसित कर सकते हैं।
  - ➢ इस नीति के प्रावधानों को शिथिल कर सकते हैं।
  - ➢ नीति के प्रावधानों को स्पष्ट करने के लिए निर्देश/स्पष्टीकरण/दिशा-निर्देश जारी कर सकते हैं।
- इस नीति के प्रभावी होने के दिनांक से मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, 2022 अप्रभावी हो जावेगी।

14. क्षेत्राधिकार

किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायक्षेत्र मध्यप्रदेश में होगा।

****

परिशिष्ट - 1 प्राथमिकता क्षेत्र की सूची

1. कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी
2. एनीमेशन, विज़ुअल, ग्राफ़िक्स, एक्स्टेंडेड रिएलिटी और गेमिंग
3. बायोटेक एवं लाइफ साइंस
4. बायोप्रिंटिंग, ऑर्गेनोइड्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ह्यूमन ऑग्मेंटेशन, बायोडायनामिक्स एवं ब्रेन-कंप्यूटर इंटरफेस (BCI)
5. सर्क्युलर इकॉनमी आधारित
6. डीपटेक
7. मोबिलिटी
8. नवीन ऊर्जा प्रौद्योगिकियाँ
9. क्वांटम टेक्नोलॉजी
10. पर्यटन

***

परिशिष्ट - 2 प्रतिष्ठित विज्ञापन प्लेटफार्म

1. अमेज़न
2. फ्लिप्कार्ट
3. गूगल
4. मेटा

***

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप कार्यान्वयन योजना, 2025

1. प्रस्तावना

राज्य में युवा उद्यमियों के लिए नवाचार और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए, मध्यप्रदेश शासन ने "मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति और कार्यान्वयन योजना **2025"** लागू की है। नीति अधिसूचना दिनांक से प्रभावी नीति प्रावधान अनुसार इन्क्यूबेटरों और स्टार्टअप को विभिन्न सहायता प्रदान करने के लिए, "मध्यप्रदेश स्टार्टअप कार्यान्वयन योजना **2025"** लागू की जा रही है।

2. योजना के कार्यान्वयन की अवधि और कार्यक्षेत्र

- यह योजना अधिसूचना दिनांक से प्रभावी होगी और पूरे मध्य प्रदेश में तब तक प्रभावी रहेगी जब तक कि सरकार द्वारा इसमें संशोधन या अधिक्रमण नहीं किया जाता है।
- स्टार्ट-अप / इन्क्यूबेटर / होस्ट संस्थान इस योजना के तहत सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे। उत्पाद आधारित स्टार्टअप के मामले में, अधिसूचना की तारीख के बाद वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने वाली इकाईयां इस नीति में प्रावधानित सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
- अधिसूचना की तिथि से पहले स्थापित स्टार्टअप/ इनक्यूबेटर/ होस्ट संस्थान को मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति, 2022 या इससे पहले की नीतियों के तहत सहायता के लिए पात्र होंगे एवं ऐसे मामलों का निराकरण पूर्व नीति के अनुसार किया जायेगा, परन्तु स्टार्टअप को प्राप्त निवेश/ऋण पर सहायता, पेटेंट सहायता, आयोजन सहभागिता सहायता, ऑनलाइन विज्ञापन सहायता, राज्य नवाचार चुनौती; राज्य में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर/होस्ट संस्थानों को विशेष वित्तीय सहायता अंतर्गत नवीन इन्क्यूबेटर सेंटर स्थापना हेतु सहायता, इन्क्यूबेशन सेण्टर को आयोजन सहायता एवं इन्क्यूबेशन सेण्टर उन्नयन सहायता; विनिर्माण आधारित स्टार्टअप्स के लिए विशेष वित्तीय सहायता में मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति अंतर्गत सहायता तथा स्टार्टअप के लिए विशेष कार्यक्रम अंतर्गत मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर एक्सेलरेशन कार्यक्रम, मध्यप्रदेश स्टार्टअप सेंटर हैकथॉन कार्यक्रम, फंडिंग सहायता में स्टार्टअप कैपिटल फंड, मध्यप्रदेश स्टार्टअप सीड सहायता के साथ मध्यप्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम अवार्ड एवं स्टार्टअप इवेंट संबंधी कार्यवाही/ सहायता में मध्यप्रदेश स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना 2025 लागू होने से पूर्व स्थापित / निगमित स्टार्टअप / इनक्यूबेटर्स / होस्ट संस्थान को भी प्राप्त होगी।
- पूर्व/प्रचलित नीति (नीतियों) के तहत स्टार्ट-अप/ इनक्यूबेटरों/ होस्ट संस्थानों/ नवचारियों को सुविधा/सहायता प्राप्त करने के लिए गठित विभिन्न समितियों को भंग कर दिया जाएगा और पूर्व की नीति (नीतियों) के तहत प्राप्त/स्वीकृत प्रकरणों का

निराकरण "मध्यप्रदेश स्टार्टअप कार्यान्वयन योजना, 2025" में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

3. कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया

a. राज्य स्तरीय साधिकार समिति

नीति के सुचारू कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति के घटक और राज्य नवाचार चुनौती के लिए स्टार्ट-अप की प्रगति की निगरानी के लिए निम्नानुसार होंगे -

क्र.	पदाधिकारियों का विवरण	प्राधिकार
1.	मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन	अध्यक्ष
2.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग	सदस्य
4.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगरीय विकास एवं आवास विभाग	सदस्य
5.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	सदस्य
6.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी	सदस्य
7.	सीईओ, अटल बिहारी बाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड पॉलिसी एनालिसिस, भोपाल	सदस्य
8.	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग	सदस्य सचिव
9.	आवश्यकतानुसार अन्य आमंत्रित सदस्य	सदस्य

b. स्टार्टअप/ इन्क्यूबेटरों/ होस्ट संस्थान/ ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज/ नवाचारियों के लिए सहायता मूल्यांकन प्रक्रिया (सभी तीन हितधारकों को इकाई के रूप में संदर्भित किया जाएगा):

- योजना के तहत सहायता के लिए आवेदन अधिमानतः इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा स्टार्टअप एमपी पोर्टल/मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप सेंटर को जारी निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन जमा किया जाएगा।
- मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप केन्द्र द्वारा प्राप्त आवेदनों की समुचित जांच एवं सम्यक तत्परता के बाद सहायता से संबंधित विषय उसकी रिपोर्ट के साथ प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।
- विचार उपरांत प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम प्रमुख सचिव, एमएसएमई को अनुशंसित आवेदन प्रस्तुत करेंगे। प्रमुख सचिव के अनुमोदन पर, नीति के तहत प्रदान की गई वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे और डीबीटी (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सुविधा राशि प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से वितरित की जावेगी। नीति अंतर्गत प्रावधानित

सुविधाओं/सेवाओं को "मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010" अंतर्गत निश्चित की गई समय सीमा में प्रदाय करने हेतु सम्मिलित किया जावेगा।

- प्रथम बार योजना के तहत सभी सहायता प्रमुख सचिव, एमएसएमई द्वारा अनुमोदित की जाएगी। उसके बाद स्वीकृत सहायता की किस्तें प्रमुख सचिव, एमएसएमई के अनुमोदन किए बिना, पात्रता के अनुसार स्वचालित रूप से प्राप्त की जाएंगी।
- यदि प्रमुख सचिव के ध्यान में ऐसा कोई तकनीकी बिंदु आता है, जिसके कारण उसे अपने निर्णय को संशोधित करना पड़ता है, तो वह स्वतः संज्ञान लेकर अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है, लेकिन लिए गए निर्णय की जानकारी 30 दिनों के भीतर संबंधित इकाई को सूचित कर दी जाएगी।

4. अपील:

प्रमुख सचिव, एमएसएमई के निर्णय के खिलाफ अपील निर्णय प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर प्रशासनिक विभाग के समक्ष होगी, विभाग योग्यता के आधार पर देरी (यदि कोई हो) को माफ कर सकता है। प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा।

5. स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/आवेदन पत्र तैयार करने की शक्तियां:

स्टार्टअप्स/ इनक्यूबेटरों/ मेजबान संस्थान/ ग्रैंड इनोवेशन चैलेंज/ नवाचारियों आदि को नीति के तहत सहायता के अनुमोदन/स्वीकृति के लिए विस्तृत दिशानिर्देश, मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) और आवेदन पत्र विभाग द्वारा पृथक से जारी किए जाएंगे।

6. संशोधन/छूट/निरसन:

योजना के प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग कभी भी-

- इस योजना में संशोधन या निरसन।
- इस योजना के प्रावधान को शिथिल कर सकते हैं।

7. न्यायालय क्षेत्राधिकार:

किसी भी विवाद के मामले में, क्षेत्राधिकार मध्यप्रदेश राज्य के भीतर होगा।

***

Notes :

Notes :

DON'T LIMIT YOURSELF
KLIC

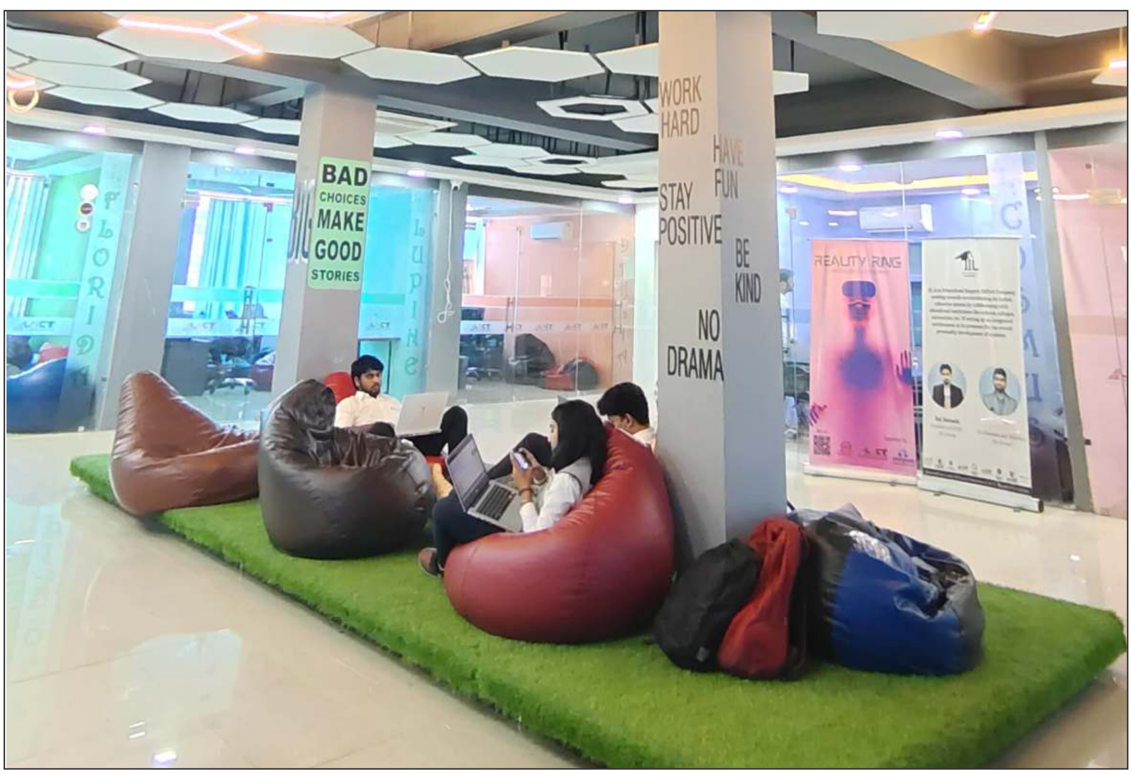
BAD CHOICES MAKE GOOD STORIES
WORK HARD
HAVE FUN
STAY POSITIVE
BE KIND
NO DRAMA
REALITY RING

MSME
GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग